

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 141/2024

वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री भोला सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)



- वादी

बनाम

1. भोला सिंह पुत्र श्री टेक सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. गुरविन्द्र कौर पत्नी श्री गुरप्रीत सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. बलजीत सिंह पुत्र श्री टेक सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. नक्षत्र सिंह पुत्र श्री तोता सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. गुरनाम सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. गुरमेल सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

प्रस्थिति :-

वादी की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 30.4.24

वादी गुरप्रीत सिंह ने प्रतिवादीगण भोला सिंह व अन्य के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता, प्रतिवादीया सं. 2 वादी की पत्नी, प्रतिवादी सं. 3 वादी का चाचा है, जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1, वादी के चाचा प्रतिवादी सं. 3 व वादी की दादी मृतका मलकीत कौर के नाम से तहसील संगरिया के चक 11 बी.जी. पी. के खाता सं. 66/17 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 2.151 है. कृषि भूमि तथा चक 12 बी.जी.पी. के खाता सं. 116/55 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 3.795 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के सांझा खातों की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि है। उक्त चकों के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंगन

लगातार :-2

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि है जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नहीं होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। मुताबिक बंटवारा प्रतिवादी सं. 1, 3, 5, 6 व मृतका मलकीत कौर के नाम से चक 12 बी.जी.पी. के खाता सं. 116/55 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में दर्ज 4.048 है। कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को 2.656 है। कृषि भूमि के ब.हि.ब. तथा प्रतिवादी सं. 3 को 0.759 है। कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 5 व 6 को 0.633 है। कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतका मलकीत कौर का नाम कलमजन करवाना चाहते हैं, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1, 3, 4 एवं मृतका मलकीत कौर के नाम से तहसील संगरिया के चक 11 बी.जी.पी. के खाता सं. 66/17 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में दर्ज 2.404 है। कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 3 को 2.151 है। कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 4 को 0.253 है। कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 एवं मृतका मलकीत कौर पत्नी श्री टेक सिंह का नाम कलमजन करवाना चाहते हैं। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं :-

क) वादी गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री भोला सिंह, प्रतिवादी सं. 1 व 2 भोला सिंह पुत्र श्री टेक सिंह एवं गुरविन्द्र कौर पत्नी श्री गुरप्रीत सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 12 बी.जी.पी. खाता सं. 116/55 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

189/148 12 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,

189/149 14 4/1/0.114 है., 4/2/0.012 है.,

5/1/0.202 है., 5/2/0.026 है., 5/3/0.025 है.,

6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.,

7/0.127 है., 14/0.126 है.,

15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.,

16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,

17,24/0.253 है.प्र.,

25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.

लगातार -- 3

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि है जिसमें वादी का हित एवं स्वत्त निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नहीं होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्ययनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के मध्य विवाद हो गया व आपरा में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के मध्य शजीनामा व बंटवारा करवा दिया। मुताबिक बंटवारा प्रतिवादी सं. 1, 3, 5, 6 व मृतका मलकीत कौर के नाम से चक 12 बी.जी.पी. के खाता सं. 116/55 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में दर्ज 4.048 है। कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को 2.656 है। कृषि भूमि के ब.हि.ब. तथा प्रतिवादी सं. 3 को 0.759 है। कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 5 व 6 को 0.633 है। कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतका मलकीत कौर का नाम कलमजन करवाना चाहते है, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1, 3, 4 एवं मृतका मलकीत कौर के नाम से तहसील संगरिया के चक 11 बी.जी.पी. के खाता सं. 66/17 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में दर्ज 2.404 है। कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 3 को 2.151 है। कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 4 को 0.253 है। कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 एवं मृतका मलकीत कौर पत्नी श्री टेक सिंह का नाम कलमजन करवाना चाहते है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं :-

वादी गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री भोला सिंह, प्रतिवादी सं. 1 व 2 भोला सिंह पुत्र श्री टेक सिंह एवं गुरविन्द्र कौर पत्नी श्री गुरप्रीत सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के ठक हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 12 बी.जी.पी. खाता सं. 116/55 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76
प.नं. मु.नं. कि.नं.
189/148 12 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,
189/149 14 4/1/0.114 है., 4/2/0.012 है.,
5/1/0.202 है., 5/2/0.026 है., 5/3/0.025 है.,
6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.,
7/0.127 है., 14/0.126 है.,
15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.,
16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,
17,24/0.253 है.प्र.,
25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.



वकायत कलमजन एवं उपर्युक्त अधिकारी संगरिया

(ख) 189/150 21 5/1/0.228 है, 5/2/0.025 है
मुमकिन 2.443 है, जै.मु. 0.213 है, कुल 2.656 है मय गै.मु. कृषि भूमि
प्रतिवादी सं. 3 बलजीत सिंह पुत्र श्री देव सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि
भूमि :-



चक 12 बी.जी.पी. खाता सं. 116/55 जमाबन्दी सम्वत् 2073-74
प.नं. मु.नं. कि.नं.

189/148 12 23.24/0.253 है प्र.,
25/1/0.228 है, 25/2/0.025 है.

मुमकिन 0.734 है, जै.मु. 0.025 है, कुल 0.759 है. मय गै.मु. कृषि भूमि
चक 11 बी.जी.पी. खाता सं. 66/17 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

190/149 13 1/2/0.127 है, 11,20,21/0.253 है.प्र.
191/150 19 9,10/0.253 है.प्र., 11/1/0.063 है., 12/0.063 है.
190/150 20 6,7/0.253 है.प्र., 14/0.063 है., 15/0.064 है.
कुल 2.151 है. कृषि भूमि



प्रतिवादी सं. 4 नक्षत्र सिंह पुत्र श्री तोता सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि
भूमि :-

चक 11 बी.जी.पी. खाता सं. 66/17 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

190/149 13 10/0.253 है.
कुल 0.253 है. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 5 व 6 क्रमशः गुरनाम सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह एवं गुरमेल
सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 12 बी.जी.पी. खाता सं. 116/55 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

189/149 14 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,
4/1/0.114 है., 4/2/0.013 है.,
7/0.126 है., 14/0.127 है.

मुमकिन 0.595 है., जै.मु. 0.038 है., कुल 0.633 है. मय गै.मु. कृषि भूमि
यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं
प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी
का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी
खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा
रकमराज अलग करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की

अध्यायक, कृषि एवं
संगरिया अधिकारी



करण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि है जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की धरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काशतकार होने को घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 6 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीजेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के द्वारा सहमति के जवाब दावे पेश किये गये जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 7 का जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादीगण के द्वारा तहसील संगरिया के चक 11 बी.जी.पी. के खाता सं. 66/17 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 व चक 12 बी.जी.पी. के खाता सं. 116/55 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 की जमाबन्दीयों की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 ता 11 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 संयुक्त खाता के काशतकार है तथा आपस में कोई विरोध नहीं है। वाद पत्र में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 6 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1, वादी के चाचा प्रतिवादी सं. 3 व वादी की दादी मृतका मलकीत कौर के नाम से तहसील संगरिया के चक 11 बी.जी.पी. के खाता सं. 66/17 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 2.151 है। कृषि भूमि तथा चक 12 बी.जी.पी. के खाता सं. 116/55 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 3.795 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 द्वारा सहमति के जवाब दावे मय प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य हैं। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। वाद पत्र मुताबिक जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

--:: क्रियात्मक आदेश ::--

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि:-


लगातार --5

अध्यक्ष
जुज
राजिया

गदी गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री भोला सिंह, प्रतिवादी सं. 1 व 2 भोला सिंह पुत्र श्री टेक सिंह एवं गुरविन्द्र कौर पत्नी श्री गुरप्रीत सिंह समस्त जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 12 बी.जी.पी. खाता सं. 116/55 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
189/148	12	16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,
189/149	14	4/1/0.114 है., 4/2/0.012 है.,
		5/1/0.202 है., 5/2/0.026 है., 5/3/0.025 है.,
		6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.,
		7/0.127 है., 14/0.126 है.,
		15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.,
		16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,
		17,24/0.253 है.प्र.,
		25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.
189/150	21	5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.



मुमकिन 2.443 है., गै.मु. 0.213 है., कुल 2.656 है. मय गै.मु. कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 3 बलजीत सिंह पुत्र श्री टेक सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 12 बी.जी.पी. खाता सं. 116/55 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
189/148	12	23,24/0.253 है.प्र.,
		25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.

मुमकिन 0.734 है., गै.मु. 0.025 है., कुल 0.759 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 11 बी.जी.पी. खाता सं. 66/17 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
190/149	13	1/2/0.127 है., 11,20,21/0.253 है.प्र.
191/150	19	9,10/0.253 है.प्र., 11/1/0.063 है., 12/0.063 है.
190/150	20	6,7/0.253 है.प्र., 14/0.063 है., 15/0.064 है.

कुल 2.151 है. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 4 नक्षत्र सिंह पुत्र श्री तोता सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 11 बी.जी.पी. खाता सं. 66/17 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
190/149	13	10/0.253 है. कुल 0.253 है. कृषि भूमि

पहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प्रतिवादी सं. 5 व 6 क्रमशः गुरनाम सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह एवं गुरमेल सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिरसा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

क 12 बी.जी.पी. खाता सं. 116/55 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

189/149 14 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,

4/1/0.114 है., 4/2/0.013 है.,

7/0.126 है., 14/0.127 है.

मु.गकि.न 0.595 है., गै.मु. 0.038 है., कुल 0.633 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

उपरोक्त आर.वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के नाम से कृषि भूमि दर्ज की जाकर आर.वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 का खाता अलग से कायम किया जाकर मु.ग.राज अलग से कायम की जावे।

नोट:- यदि डिक्लैर वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्ली किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्ली जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30.4.2014 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
संगरिया

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 141/2024

श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री भोला सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) - वादी

बनाम्

श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री टेक सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

श्री गुरविन्द्र कौर पत्नी श्री गुरप्रीत सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

श्री गुरजीत सिंह पुत्र श्री टेक सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

श्री गुरनाम सिंह पुत्र श्री तोता सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

श्री गुरमेल सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

श्री गुरमेल सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

श्री गुरमेल सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)



- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 30.04.2024

श्री राजस्थान मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इलैक्ट्रिकल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड वकील वादी मिन जाभिन मुदई श्री कुलदीप मुण्ड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 6 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि:-

वादी गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री भोला सिंह, प्रतिवादी सं. 1 व 2 भोला सिंह पुत्र श्री टेक सिंह एवं गुरविन्द्र कौर पत्नी श्री गुरप्रीत सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के एक हिस्सा व कब्जाकाशत की ब. डि.व. कृषि भूमि :-

वक 12 बी.जी.पी. खाता सं. 116/55 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

189/148 12 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,

189/149 14 4/1/0.114 है., 4/2/0.012 है.,

5/1/0.202 है., 5/2/0.026 है., 5/3/0.025 है.,

लगातार --2

महायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.,
7/0.127 है., 14/0.126 है.,
15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.,
16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,
17,24/0.253 है.प्र.,
25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.
5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.

सं. 3 बलजीत सिंह पुत्र श्री टेक सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि

बी.जी.पी. खाता सं. 116/55 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76
मु.नं. कि.नं.

23,24/0.253 है.प्र.,
25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.

0.734 है., गै.मु. 0.025 है., कुल 0.759 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

बी.जी.पी. खाता सं. 66/17 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
मु.नं. कि.नं.

1/2/0.127 है., 11,20,21/0.253 है.प्र.
9,10/0.253 है.प्र., 11/1/0.063 है., 12/0.063 है.
6,7/0.253 है.प्र., 14/0.063 है., 15/0.064 है.
कुल 2.151 है. कृषि भूमि

सं. 4 नक्षत्र सिंह पुत्र श्री तोता सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

बी.जी.पी. खाता सं. 66/17 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
मु.नं. कि.नं.

10/0.253 है.
कुल 0.253 है. कृषि भूमि

सं. 5 व 6 क्रमशः गुरनाम सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह एवं गुरमेल सिंह पुत्र
जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

बी.जी.पी. खाता सं. 116/55 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76
मु.नं. कि.नं.

3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,
4/1/0.114 है., 4/2/0.013 है.,
7/0.126 है., 14/0.127 है.

0.595 है., गै.मु. 0.038 है., कुल 0.633 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के नाम से कृषि भूमि दर्ज की जाकर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 का खाता अलग से कायम किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जावे।

नोट :- यदि डिक्लीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्ली किया जावे।

निज निलX..... मुख्लिकX.....निलX..... बाबत्X.....
निल.....X..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकX.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 30.4.2014 को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)

सहायक सप्लायर एवं
महासक सप्लायर एवं
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
संगरिया
संगरिया

